Bistone JPG to PDF Converter TRIAL Version
Buy Now: http://www.jpg2pdfconverter.com/buynow.htm

भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली और चुनाव सुधार की आवश्यकता

रफअत अफरोज खान
शोधार्थी

भारत विश्व का सबसे बडा प्रजातांत्रिक देश है राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तम्भ है प्रजातांत्रिक शासन की सफलता के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य आवश्यक बन गए है वर्तमान समय मे बिना दल के प्रजातांत्रिक शासन की कल्पना निरर्थक होगी लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा रूप है। भारत में आजादी के बाद प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया

वास्तव में राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र चल ही नही सकता इसलिए राजनैतिक दलों को लोकतंत्र के पहिए या लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दल प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य ही नहीं कर सकती, शासन का चाहे संसदीय रूप हो या अध्याक्षात्मक दल प्रणाली के अभाव मे उसका क्रियान्वयन असम्भव है। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है । भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रभावकारी के संगठन की आवश्यकता महसूस हुई भारत मे अब तक 16 आम चुनाव हो चुके है। ये सभी चुनाव सामान्य तथा शान्तिपूर्ण संग से सम्पन्न हुए है। चुनावो से सम्बन्धित चुनाव सुधार विषय वर्षो से संसद और देश के प्रबुद्ध वर्ग से संसद आकर्षित करता रहा है।

भारत मे चुनाव सुधार :–

चुनाव प्रणाली को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की पहल

भारत मे चुनाव सुधार एक ऐसा जटिल मुददा है जिस पर जनता और न्यायपालिका लगभग एकमत है किंतु भ्रष्टाचार के गर्त के गोते लगाते राजनीतिज्ञो की पकड़वाली विधायिकी इसके प्रतिकूल अपना अलग मत रखती है अब यह तथ्य किसी से छुपा नही है कि लोकसभा और राज्यविधान सभाए ही नही स्थानीय निकायों का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारो द्वारा अवैध तरीको को अपनाया जाता है सामान्य तौर पर उम्मीदवारो की अपराधिक पृष्ठभूमि अवैध तरीकों से जमा की गई अकूत सम्पत्ति तथा अपराधिक व्यक्तियों के साथ अकी सांठ–गांठ उन्हे चुनावो को अपने पक्ष में कर लेने फायरिंग करके डरा–धमका कर वैद्य मतदाताओ को मतदान करने से रोकने, फर्जी मत डलवाने जेसे घटनाएँ होना सम्भव हो पाती, जबकि धन–बल के सहारे मतदाताओ को उनके भरोसेमन्द जातीय / सामुदायिक नेताओ के सहारे लुभाया जाता है इसके लिए मुफ्त में शराब और अन्य वस्तुए वितरित की जाती है। इस प्रकार जो लोग चुनाव जीतकर लोकसभा विधानसभा में पहुँचते है वे नए सिरे से संवैधानिक उपचारो के सरक्षण मे अवैध तरीके से सम्पत्ति अर्जित करने लगते है। आज एक नही बल्कि हजारो मामले ऐसे है।

Bistone JPG to PDF Converter TRIAL Version
Buy Now: http://www.jpg2pdfconverter.com/buynow.htm

चुनाव सुधारो के लिए अब तक तार कुण्डे समिति गोस्वामी समिति इंहजीत गुप्ता समिति अपने प्रतिवेदन सरकार को सोप चुकी है। इन समितियो के सुझावो पर मुख्य चुनाव आयुक्तो ने अपने – अपने स्तर पर विधी सगंत अधिकारो का प्रयोग करके चुनाव प्रणाली की खामियो को दूर करने का प्रयास किया है इसी क्रम मे भारत के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय भी समय पर चुनाव सुधारो की प्रक्रिया को आगे बढाते रहे है यँह आगे बात है कि भारत का राजनीतिज्ञ सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश को निष्प्रभावी करते रहने मे भी पीछे नही रहे है। भारत मे चुनाव सुधारो के क्रियान्वयप का वास्तविक रूप तो भारत के निर्वाचन आयोग ने ही प्रदान किया है लैकिन समय – समय पर प्रयास सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी तथा भारत सरकार द्वारा किये जाते रहे है।चुनाव सुधारो की पृष्टभुमि तैयार करने में विभिन्न समितियो के सुझावो की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है।

शब्द कुंजी :–

लोकमत, चुनाव सुधार, संवेधानिक उपचार, समिति

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तम्भ है प्रजातांत्रिक शासन की सफलता के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य आवश्यकता बन गए है वर्तमान समय में बिना दल के प्रजातांत्रिक शासन की कल्पना निरर्थक होगी लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा रूप है भारत मे आजादी के बाद प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया।

वास्तव में राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र चल ही नही सकता इसलिए राजनैतिक दलों को लोकतंत्र के पहिए या लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दल प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य ही नही कर सकती शासन की चाहे संसदीय रूप हो या अध्याक्षात्मक दल प्रणाली के अभाव में उसका कार्यान्वयन असम्भव है। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्त साधन है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रभावकारी दलो के संगठन की आवश्यकता महसूस हुई भारत मे अब तक सौलह आम चुनाव हो चुके है ये सभी चुनाव सामान्य तथा शान्तिपूर्ण दंग से सम्पन्न हुए है चुनावो से सम्बधित चुनाव सुधार वर्षो से संसद और देश के प्रबुद्ध वर्ग से संसद आकर्षित करता रहा है।

भारत में चुनाव सुधार :–

चुनाव प्रणाली को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की पहल

Bistone JPG to PDF Converter TRIAL Version
Buy Now: http://www.jpg2pdfconverter.com/buynow.htm

लोकतंत्र की विश्वनीयता और उसके प्रति आस्था जनमानस में बनी रहे इसके लिए जरूरी है चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हो अब यह तथ्य किसी से छुपा नहीं हैं। कि लोकसभा और राज्य विधानसभाए नहीं स्थानीय निकायो का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों द्वारा अवैध तरीकों को अपनाया जाता है। सामान्य तौर पर उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठभूमि अवैध तरीके से जमा की गई अकूत सम्पत्ति तथा अपराधिक व्यक्तियों के साथ उनकी साठ–गांठ उन्हें चुनावों को अपने पक्ष में कर लेंगे फाइरिंग करके डरा धमका कर वैध मतदाताओं को मतदान, करने से रोकने, फर्जी मत डलवाने जैसी घटनाऐं होना सम्भव हो पाता जबकि धन बल के सहारे मतदाताओं को उनके भरोसेमंद जातीय/सामुदायिक नेताओं के सहारे लुभाया जाता है इसके लिए मुफ्त में शराब और अन्य वस्तुए वितरित की जाती है । इस प्रकार से जो लोग चुनाव जीत कर लोकसभा /विधानसभा में पहुंचते वे नए सिरे से संवैधानिक उपचारों के संरक्षण में अवैध तरीके से सम्पत्ति अर्जित करने लगते हैं आज एक नहीं बल्कि हजारों मामले ऐसे हैं।

चुनाव सुधारों के लिए अब तक तारकुण्डे समिति, गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्ता समिति अपने प्रतिवेदन सरकार को सौंप चुकी है। इन समितियों के सुझावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त अपने अपने स्तर पर विधिसंगत अधिकारों का प्रयोग करके चुनाव प्रणाली की खामियों को दूर करने का प्रयास किया है इसी क्रम में भारत के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय भी समय–समय पर चुनाव सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे हैं। यह और बात है कि भारत के राजनीतिक सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश को निष्प्रभावी करते रहने भी पीछे नहीं रहे हैं।

भारत में चुनाव सुधारों को कार्यान्वयन का वास्तविक रूप तो भारत में निर्वाचन आयोग में ही प्रदान किया है चुनाव आयोग के प्रयासों से चुनाव में पारदर्शिता आ रही है चुनाव आयोग और अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाये जिससे सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके लेकिन आज भी चुनाव में अधिक से अधिक खर्च की वजह से चुनाव में काले धन का उपयोग हो रहा है जिससे भ्रष्टाचार, अपराधिकरण बढ रहा है आज चुनाव धन और शक्ति के बल पर टिका है ऐसे में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चुनाव सुधार पृष्ठभूमि तैयार करने में विभिन्न समितियों के सुझावों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है।

तारकुण्डे समिति :

लोकनायक प्रकाश नारायण के परामर्श पर सिटीजन फार डेमोक्रेसी द्वारा अगस्त 1974 श्री वी. एम. तारकुण्डे की अध्यक्षता में चुनाव सुधार पर एक समिति गठित की इस समिति ने फरवरी 1975 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तारकुण्डे समिति ने लोकसभा विधानसभाओं के समय प्रशासनिक व्यय में

Bistone JPG to PDF Converter TRIAL Version
Buy Now: http://www.jpg2pdfconverter.com/buynow.htm

अतिरिक्त उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले प्रचार पर होने वाले व्यय को राजकोष से उठाने का सुझाव दिया।

गोस्वामी समिति 1990 –

भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पहल पर भारतीय चुनाव प्रणाली से जुड़े मुद्दो पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा तात्कालीन केन्द्रीय कानून एवं न्यायमंत्री श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की इस समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार है।

(i) निर्वाचन आयोग निस्तरीय हो।

(ii) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों के वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा नागरिकों को संरक्षित किया जाए।

(iii) मतदान सूचियों में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को दण्डित करने के लिए जन प्रतिनिधिक अधिनियम 1950 की धारा 32 को संशोधित किया जाए।

(iv) मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र दिये जाने हेतु समुचित बद्ध कार्यक्रम चलाया जाए किसी भी उम्मीदवार को दो से अधिक चुनाव लड़ने कि अनुमति न हो चुनाव खर्च के अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं पुनरीक्षण के अधिकारी केन्द्र सरकार की बजाय निर्वाचन आयोग को हो।

लेकिन ऐसे बहुत से कार्य चुनाव सुधार के लिए किए गए। आज इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि भारतीय निर्वाचन प्रकिया दोष रहित निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो।

इन्द्रजीत गुप्ता समिति

भारत में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा बड़े पैमाने पर धन व्यय किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा/भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से कई गुना अधिक होता है चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार अवैध तरीको से धन संग्रहित करते हैं यह धन नौकरशाहों व्यवसायियों उद्योगपतियों द्वारा अर्जित अवैध कमाई से दिया जाता है। समिति द्वारा सम्पूर्ण चुनाव खर्च प्रशासनिक एवं उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को राज्यवहन मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और यह भी अध्ययन किया कि विश्व के किन देशों में ऐसा किया चुनाव सुधार के लिए पिछले तीन चार वर्षों से चिंतित और प्रयत्नशील है। पंजाब के निर्वाचनों को

Bistone JPG to PDF Converter TRIAL Version
Buy Now: http://www.jpg2pdfconverter.com/buynow.htm

ध्यान में रखकर सरकार ने 19 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी कर संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचनों में न्यूनतम् अधिकारिक अवधि जो 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया जाए और पजाब चुनावों को ध्यान मे ही रखकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को चुनाव दौरान मृत्यु पर चुनाव रद्ध न करने का उपबंध किया था।

आज अधिकांश राष्ट्रो में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था हो लोकतंत्र शासन प्रणाली की उत्कृष्ट' व्यवस्था जिसमें शासन संचालन की बागडोर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के ही हाथों में रहती है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में अनेक रचनात्मक प्रवित्तियों की विद्यमानता के पश्चात् भी चुनाव सुधारों को अस्वीकारना कठिन है चुनाव सुधार समय की आवश्यकता है।

भारत की निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे एवं जनता अपने मताधिकार का स्वतंत्रापूर्वक उपयोग कर सके। सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाकर हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान कर सकेंगे इसके लिए देश के सभी लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। आज इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया दोषरहित निष्पक्ष व लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। चुनाव सुधार का मुद्दा आज भी प्रासांगिक बना हुआ है।

सन्दर्भ

(1) सिहंल डॉ. एस.सी., भारतीय शासन एंव राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, 2004।

(2) जेन, फडिया, डॉ पुखराज, डॉ. बी0 एल0, भारतीय शासन एंव राजनीति, साहित्य भवन आगरा, 2004 ।

(3) त्रिवेदी, राय, जॅ. आर0 एम0, डॉ0 एम0 पी0 भारतीय, सरकार एंव राजनीति, कालेज बुड डिपो जयपुर।

(4) प्रतियोगिता दपर्ण मई 2014 ।

(5) प्रतियोगिता साहित्य अप्रैल 2014

(6) दैनिक भास्कर ।

Bistone JPG to PDF Converter TRIAL Version
Buy Now: http://www.jpg2pdfconverter.com/buynow.htm